

07 ⁰⁵/₂₅

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी द्वारा उन्हें सुना गया
उन्होंने अवगत कराया कि वकील नारोली में की
आराजीयात में प्रार्थी का नाम कमल पुत्र-चकला राम
के स्थान पर कमलसिंह पुत्र-चकला राजस्व कर्मचारियों
की सहवन गलती से दर्ज हो गया। जबकि आधार कार्ड,
पैन कार्ड, राशन कार्ड आदि में सही नाम दर्ज है। अतः
प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जावे।

हमने वहस वकील प्रार्थी पर भ्रमन किया। पत्रावली
खं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भाँति अध्ययन
किया गया। इनके आधार पर हम प्रार्थी का नाम शुद्ध
किया जाऊँ अर्थात् पत्रावली

अतः प्रार्थी का पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर
तहसीलदार, मुसावर को आदेशित किया जाता है
कि आ. ख. नं. 350, 384, 774, 775, 776, 886, 329,
328, 225, 418, 515, 583, 60, 61, 62, 794, वकील ग्राम
नारोली तह. मुसावर में प्रार्थी का नाम कमलसिंह पुत्र
चकला के स्थान पर कमल पुत्र-चकला राम दुरुस्त
राजस्व रिकॉर्ड किया जावे।

पत्रावली के स्थल नुमांश नंबर से कम हो।
बाद तकमिल जाता काजिल दफ्तर हो।

(राजेश्वर मीणा)
उपलक्ष्य कारी
मुसावर (म. त. पुर)